

अब गोदाम वाले पैक्स को ही राशन दुकान

पटना, जागरण ब्यूरो : राज्य सरकार ने जनवितरण दुकानों (पीडीएस) के आवंटन की नयी नीति तय की है। नयी दुकानें व्यक्ति विशेष के बदले पैक्सों या स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की जायेंगी। मगर उन पैक्सों को ही राशन दुकान आवंटित की जायेंगी, जिनके पास अपना या किराये का गोदाम होगा।

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को सहकारिता तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की हुई बैठक में इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। तय हुआ कि जिन क्षेत्रों में पैक्स निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेंगे उन क्षेत्रों में रिक्तियां नहीं होने के बावजूद

राशन दुकान आवंटित करने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा। उन्होंने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुज्ञप्ति प्राप्त पैक्स के पीडीएस दुकानदारों के लिए विभाग प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन करे। श्री मोदी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि आज की बैठक में लिये गये निर्णय से सभी जिला सहकारिता पदाधिकारियों को अविलंब अवगत करा दिया जाये तथा उन्हें उपरोक्त निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही अपनी बिन्दुवार स्पष्ट और विस्तृत विवरणी संबंधित अनुमंडल अधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया।